आवश्यक सूचना

---//---

सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के समस्त हितग्राही विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आप अपने बैंक एकाउन्ट सम्बन्धी जानकारी जैसे Bank Account Number, IFSC Code, Aadhar Number, ATM Number, Pin Number आदि किसी को भी नहीं बताएँ। दूरभाष पर कुछ जालसाज व्यक्ति अपने को सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप का संचालनकर्त्ता बताकर उक्त जानकारी प्राप्त कर बैंक से धनराशि निकाल लेते हैं, ऐसी शिकायतें माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल के छात्रवृत्ति कक्ष में मिल रही हैं।

अतः किसी भी व्यक्ति को अपने बैंक खाते के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं करायें। इस प्रकार के कॉल आने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन एवं साईबर क्राईम शाखा में शिकायत दर्ज करायें।

उपसचिव,
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश भोपाल

PUBLIC NOTICE

Applications are invited under the **'Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Students'** implemented by the Department of Higher Education has become live National Scholarship Portal http://www.scholarships.gov.in/ with effect from 18.7.2017.

All Class XII pass out students since 2015 are required to apply online for renewal and fresh scholarships on or before 30.9.2017 (In respect of renewals) and before 31.10.2017 in respect of fresh.

******

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल

ई–मेल : **mpbse@mp.nic.in** वेब साइट : **www.mpbse.nic.in**

भोपाल दिनांक 14/09/2017

//प्रेस विज्ञप्ति//

1. **सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप वर्ष 2017 के लिये नवीन ऑनलाईन आवदेन करने की अंतिम तिथि 31/10/2017.**
2. **वर्ष 2015 एवं 2016 के लिए नवीनीकरण ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30/09/2017.**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल के माध्यम से महाविद्यालयीन एवं विश्वविद्यालयीन विद्यार्थियों को वितरित की जाने वाली, सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन एवं ऑनलाईन आवेदन करने का कार्य प्रारंभ हो चुका हैं।

1. **सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप वर्ष 2017 के लिये नवीन ऑनलाईन आवदेन करने की अंतिम तिथि 31/10/2017** – माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल की हायर सेकेण्डरी परीक्षा वर्ष 2017 में उत्तीर्ण Top 20 Percentile अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी नवीन छात्रवृत्ति हेतु National Scholarship Portal पर आवेदन केवल ऑनलाईन ही भरेंगे। माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल की Top 20 Percentile विद्यार्थियों की सूची को National Scholarship Portal से Mapped किया गया हैं। इस सूची में सम्मिलित विद्यार्थी ही इस योजना हेतु आवेदन कर सकेंगे। सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप योजना को अच्छी तरह समझने हेतु पोर्टल के होमपेज पर गाईड लाईन्स एवं FAQs दिये गये हैं। सत्र 2017 के विद्यार्थियों के लिये National Scholarship Portal पर ऑनलाईन आवेदन करने की **अंतिम तिथि 30/09/2017 से बढ़ाकर 31/10/2017** कर दी गई हैं।

छात्रवृत्ति योजना के अनुसार मध्यप्रदेश के कुल 4299 अभ्यार्थियों को चयनित किया जाना है, जिसमें से 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ छात्राओं के लिए एवं 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ छात्रों के लिए निर्धारित की गई है। उपरोक्त संख्या को 3:2:1 के अनुसार विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय के विद्यार्थियों में वितरण किया जावेगा। इनमें विज्ञान संकाय के 2150, वाणिज्य संकाय के 1433 एवं कला संकाय के 716 अभ्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण किया जाना है। इन अभ्यार्थियों में सभी वर्गों का कोटा आवंटित है। 15 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों, 7.5 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों, 27 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों एवं 3 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ विकलांग अभ्यर्थियों हेतु कोटा आवंटित हैं।

2. **वर्ष 2015 एवं 2016 के लिए नवीनीकरण ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30/09/2017** – वर्ष 2016 के प्रथम नवीनीकरण एवं वर्ष 2015 के द्वितीय नवीनीकरण के लिये **आवेदन करने की अंतिम तिथि 31/08/2017 से बढ़ाकर दिनांक 30/09/2017 कर दी गयी हैं।**

छात्रवृत्ति हेतु ऐसे आवेदकों को पात्रता होगी जो नियमित रूप से किसी शासकीय अथवा अशासकीय मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है। विद्यार्थी National Scholarship Portal पर नवीन (Fresh) या नवीनीकरण (Renewal) आवेदन भरने के पश्चात अपने ऑनलाईन आवेदन संबंधित संस्था के द्वारा सत्यापित (Verified) अवश्य करायें अन्यथा आवेदन अवैध (Invalid) माने जायेंगे।

भारत शासन के निर्देशानुसार सत्र 2017–18 छात्रवृत्ति हेतु हितग्राही विद्यार्थी का **आधार नम्बर होना आवश्यक है।** विद्यार्थी को अपने स्वयं के नाम का बैंक खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोलकर उसे आधार से जोड़ा जाना अनिवार्य किया गया है। Online/offline आधार कार्ड संबंधी दिशा–निर्देश वेबसाईट http://www.aadharcarduidai.in/ aadhar-card-apply-online-offline/ पर उपलब्ध है।

छात्रवृत्ति संबंधी दिशा–निर्देश वेबसाईट http://www.scholarships.gov.in पर उपलब्ध हैं। विद्यार्थी National Scholarship Portal पर छात्रवृत्ति हेतु Online आवेदन स्वयं करेंगे एवं आवेदन भरने के पश्चात पावती हेतु प्रिण्ट निकालकर अपने पास रखें एवं हार्डकॉपी अपने अध्ययनरत संस्थान की ओर भेंजे।

उपसचिव,
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश
भोपाल